हर इंसान-एक समान | एक राष्ट्र-एक जान | मेरा भारत महान

समता आन्दोलन समिति (रजि.)

प्रान्तीय कार्यालय :जी-3, संगम रेजीडेन्सी, प्लाट नं. 9-10, गंगाराम की ढाणी, वैशाली नगर, जयपुर

Website:www.samtaandolan.in Email :samtaandolan@yahoo.in

माननीय श्री पानाचन्द जैन
संरक्षक (पूर्व न्यायाधिपति)

माननीय श्री अशोक कुमार सिंह
संरक्षक (पूर्व मेजर जनरल)

माननीय श्री भागीरथ शर्मा
संरक्षक (पूर्व आई. ए. एस.)

श्री इकराम राजस्थानी
सलाहकार, मो. 098290-78682

पाराशर नारायण शर्मा
अध्यक्ष, मो. 094133-89665

राम निरंजन गौड़
महासचिव , मो. 094144-08499

ललित चाचाण
कोषाध्यक्ष , मो. 094140-95368

प्रान्तीय उपाध्यक्ष एवं पदेन सम्भागीय अध्यक्ष :-

जयपुर
योगेन्द्र मेघसर
(मुख्य लेखाधिकारी)
मो. 9166494225

अजमेर
एन. के.झामड़
(अधिशासी अभियन्ता)
मो. 9414008416

बीकानेर
वाई. के. योगी
मो. 9414139621

भरतपुर
हेमराज गोयल
(सेवानिवृत अधिक्षण अभियन्ता)
मो. 9460926850

जोधपुर
प्रहलाद सिंह राठौड़
(पूर्व आर. ए. एस.)
मो. 9414085447

कोटा
दिलीप कुमार शुक्ला
मो. 9414063236

उदयपुर
दूल्हा सिंह चूण्डावत
(कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष- क्षत्रिय महासभा)
मो. 9571875488

जे. एस. राजावत
संरक्षक समता ज्योति (मासिक-पत्र)
मो. 9314962106

क्रमांक 35442-36230 दिनांक : 14.07.2016

श्रीमान नरेन्द्र मोदी साहेब,
माननीय प्रधानमंत्री महोदय,
भारत सरकार,
नई दिल्ली ।

विषयः– अनुच्छेद 16(4), (4)(ए) एवं (4)(बी) के अधीन आरक्षण का लाभ देने के लिए "पिछडापन", "पर्याप्त प्रतिनिधित्व", एवं "सकल प्रशासनिक दक्षता की सुरक्षा (अनुच्छेद–335)" को परिभाषित करने बाबत।

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि आप यह भली भांति जानते है कि अनुच्छेद 16(4), (4)(ए) एवं (4)(बी) के अधीन आरक्षण का लाभ दिये जाने के लिए पात्र व्यक्तियों का निर्धारण करते समय उनके वर्ग का "पिछडापन", "अपर्याप्त प्रतिनिधित्व", एवं "सकल प्रशासनिक दक्षता की सुरक्षा (अनुच्छेद–335)" संख्यात्मक आंकड़ों के आधार पर सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है।

आप यह भी भली भांति जानते है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने एम.नागराज के प्रकरण में एकमत होकर निर्णय दिया है कि उपरोक्त तीनों अनिवार्य शर्तों की पूर्ति किये बिना किसी भी सरकार एवं प्राधिकारी को अनुच्छेद 16(4), (4)(ए) एवं (4)(बी) के अधीन आरक्षण प्रावधान बनाने के कोई अधिकार नहीं है।

आप यह भी जानते है कि अनुच्छेद 16(4) नियुक्तियों में आरक्षण से संबंधित है तथा अनुच्छेद 16 (4)(ए) पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित है। जिसका स्पष्ट आशय है कि अनुच्छेद 16(4) के अधीन आरक्षण प्रावधान करने से पहले आरक्षित वर्ग के बेरोजगार समूह का पिछड़ापन संख्यात्मक आंकड़ों द्वारा तय किया जाना अनिवार्य है। इसी प्रकार अनुच्छेद 16(4)(ए) के अधीन पदोन्नति में आरक्षण के प्रावधान बनाने से पूर्व आरक्षित वर्ग में से सरकारी नौकरी पा चुके व्यक्तियों के वर्ग का पिछड़ापन संख्यात्मक आंकड़ों द्वारा तय किया जाना अनिवार्य है।

आप यह भी भली भांति जानते है कि केन्द्र सरकार अथवा किसी भी राज्य सरकार ने अभी तक "पिछडापन", "अपर्याप्त प्रतिनिधित्व", एवं "सकल प्रशासनिक दक्षता की सुरक्षा (अनुच्छेद–335)" की कोई परिभाषा या मानदण्ड ही तय नहीं किये है इसीलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा 19 अक्टूबर 2006 को दिये गये उपरोक्त एम. नागराज के निर्णय की अभी तक कहीं भी पालना सुनिश्चित नहीं की गई है।

आप से प्रार्थना है कि उपरोक्त तीनों अनिवार्य परिभाषाओं/मानदण्डों का निर्धारण तत्काल करवाकर सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करवाया जाये जिनमें संविधान सम्मत, विधि सम्मत एवं प्राकृतिक न्याय के अनुरूप निम्न बातों का भी ध्यान रखा जावे:–

1. पिछड़ापन :– अनुच्छेद 16(4) के अधीन नियुक्तियों में आरक्षण प्रावधान बनाने से पूर्व आरक्षित वर्ग के बेरोजगार समूह का पिछड़ापन निर्धारित करने वाली वैज्ञानिक परिभाषा तय की जावे। जिसमें जाति व धर्म के नाम का उल्लेख ना हो क्योंकि अनुच्छेद 16(4) में केवल पिछड़े वर्ग को नियुक्तियों में आरक्षण देने की बात कही गई है, किसी जाति व धर्म का उल्लेख नहीं किया गया है। परिभाषा ऐसी तय की जावे जिसे संख्यात्मक आंकड़ों द्वारा प्रमाणित भी किया जा सके।

(लगातार — 2)

समता आन्दोलन समिति (रजि.)

प्रान्तीय कार्यालय :जी-3, संगम रेजीडेन्सी, प्लाट नं. 9-10, गंगाराम की ढाणी, वैशाली नगर, जयपुर

Website:www.samtaandolan.in Email :samtaandolan@yahoo.in

माननीय श्री पानाचन्द जैन
संरक्षक (पूर्व न्यायाधिपति)

माननीय श्री अशोक कुमार सिंह
संरक्षक (पूर्व मेजर जनरल)

माननीय श्री भागीरथ शर्मा
संरक्षक (पूर्व आई. ए. एस.)

श्री इकराम राजस्थानी
सलाहकार, मो. 098290-78682

पाराशर नारायण शर्मा
अध्यक्ष, मो. 094133-89665

राम निरंजन गौड़
महासचिव , मो. 094144-08499

ललित चाचाण
कोषाध्यक्ष , मो. 094140-95368

प्रान्तीय उपाध्यक्ष एवं
पदेन सम्भागीय अध्यक्ष :-

जयपुर
योगेन्द्र मेघसर
(मुख्य लेखाधिकारी)
मो. 9166494225

अजमेर
एन. के.झामड़
(अधिशासी अभियन्ता)
मो. 9414008416

बीकानेर
वाई. के. योगी
मो. 9414139621

भरतपुर
हेमराज गोयल
(सेवानिवृत अधिक्षण अभियन्ता)
मो. 9460926850

जोधपुर
प्रहलाद सिंह राठौड़
(पूर्व आर. ए. एस.)
मो. 9414085447

कोटा
दिलीप कुमार शुक्ला
मो. 9414063236

उदयपुर
दूल्हा सिंह चूण्डावत
(कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष- क्षत्रिय महासभा)
मो. 9571875488

जे. एस. राजावत
संरक्षक समता ज्योति (मासिक-पत्र)
मो. 9314962106

क्रमांक

दिनांक :

अनुच्छेद 16(4)(ए) के अधीन पदोन्नति में आरक्षण के प्रावधान बनाने से पूर्व सरकारी नौकरी पा चुके अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के कर्मचारियों / अधिकारियों के पिछड़ेपन की ऐसी वैज्ञानिक परिभाषा तय की जावे जिसे संख्यात्मक आंकड़ों से प्रमाणित भी किया जा सके।

2. पर्याप्त प्रतिनिधित्व :– अनुच्छेद 16(4) एवं 16(4)(ए) के अधीन नियुक्तियों एवं पदोन्नति में आरक्षण के प्रावधान तभी किये जा सकते है जबकि पिछड़े वर्ग का सरकारी नौकरियों में "अपर्याप्त प्रतिनिधित्व" हो। "अपर्याप्त प्रतिनिधित्व" का संख्यात्मक आंकड़ों के आधार पर निर्धारण तभी सम्भव है जबकि "पर्याप्त प्रतिनिधित्व" की वैज्ञानिक परिभाषा/मानदण्ड उपलब्ध हो। अतः आपसे प्रार्थना है कि "पर्याप्त प्रतिनिधित्व" के लिए वैज्ञानिक परिभाषा/मानदण्ड निम्न अनिवार्य तत्वों को ध्यान में रखते हुये तत्काल निर्धारित की जावे:–

(अ) माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठों ने इन्द्रा साहनी एवं एम. नागराज के प्रकरणों में यह अभिनिर्धारित किया है कि "पर्याप्त" का अर्थ "आनुपातिक" नहीं है। अर्थात किसी जाति या वर्ग की जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाना अनुच्छेद 16(4) के अधीन संविधान सम्मत, व्यवहारिक एवं देशहित में नहीं है।

(ब) "पर्याप्त" का अर्थ साधारणतया "संतोषजनक" से लिया जाता है अर्थात किसी व्यक्ति के पास औसत सम्पदा का पचास प्रतिशत है अथवा किसी परीक्षा में औसत अंकों के पचास प्रतिशत है अथवा औसत प्रतिनिधित्व का पचास प्रतिशत है तो उसे "पर्याप्त" माना जाता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विभिन्न संविधान पीठों एवं खण्डपीठों ने भी बार–बार निर्णय दिये है कि आरक्षण प्रावधान 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिये। देश की स्वतंत्रता के लगभग 70 वर्षों बाद सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक प्रगति को देखते हुये कोई भी जाति एवं वर्ग पूरी तरह पिछड़ा या दलित नहीं रह गया है। इन महत्वपूर्ण कारकों को ध्यान में रखते हुये "पर्याप्त प्रतिनिधित्व" की परिभाषा या मानदण्ड संबंधित जाति/वर्ग की जनसंख्या के अनुपात का 50 प्रतिशत से अधिक नहीं रखा जावे। इस परिभाषा को माननीय उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 46249 में दिनांक 03.10.2013 को पारित आदेश में भी मान्यता दी गई है।

3. सकल प्रशासनिक दक्षता की सुरक्षा(अनुच्छेद–335) :– माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने एम.नागराज के प्रकरण में सर्वसम्मत निर्णय देते हुये यह बार–बार उल्लेख किया है कि आरक्षण प्रावधान बनाने से पहले संख्यात्मक आंकड़ों से यह तय किया जावे कि यह आरक्षण प्रावधान किसी भी सूरत में सकल प्रशासनिक दक्षता पर दुष्प्रभाव (अनुच्छेद–335) डालने वाले नहीं हो। अर्थात ऐसे मानदण्ड तय किये जावे कि :–

(i) आरक्षित वर्ग के कमजोर लोगों का प्रतिनिधित्व/ आरक्षण कम से कम हो,

(लगातार–– 3)

समता आन्दोलन समिति (रजि.)

प्रान्तीय कार्यालय :जी-3, संगम रेजीडेन्सी, प्लाट नं. 9-10, गंगाराम की ढाणी, वैशाली नगर, जयपुर

Website:www.samtaandolan.in Email :samtaandolan@yahoo.in

माननीय श्री पानाचन्द जैन
संरक्षक (पूर्व न्यायाधिपति)

माननीय श्री अशोक कुमार सिंह
संरक्षक (पूर्व मेजर जनरल)

माननीय श्री भागीरथ शर्मा
संरक्षक (पूर्व आई. ए. एस.)

श्री इकराम राजस्थानी
सलाहकार, मो. 098290-78682

पाराशर नारायण शर्मा
अध्यक्ष, मो. 094133-89665

राम निरंजन गौड़
महासचिव , मो. 094144-08499

ललित चाचाण
कोषाध्यक्ष , मो. 094140-95368

प्रान्तीय उपाध्यक्ष एवं
पदेन सम्भागीय अध्यक्ष :-

जयपुर
योगेन्द्र मेघसर
(मुख्य लेखाधिकारी)
मो. 9166494225

अजमेर
एन. के.झामड़
(अधिशासी अभियन्ता)
मो. 9414008416

बीकानेर
वाई. के. योगी
मो. 9414139621

भरतपुर
हेमराज गोयल
(सेवानिवृत अधिक्षण अभियन्ता)
मो. 9460926850

जोधपुर
प्रहलाद सिंह राठौड़
(पूर्व आर. ए. एस.)
मो. 9414085447

कोटा
दिलीप कुमार शुक्ला
मो. 9414063236

उदयपुर
दूल्हा सिंह चूण्डावत
(कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष- क्षत्रिय महासभा)
मो. 9571875488

जे. एस. राजावत
संरक्षक समता ज्योति (मासिक-पत्र)
मो. 9314962106

क्रमांक (3) दिनांक :

(ii) उत्पादकता/प्रशासनिक दक्षता को दुष्प्रभावी करने वाला ना हो।

(iii) अनारक्षित वर्ग के कार्मिकों की दक्षता एवं कार्यक्षमता को कुण्ठित या हताश करने वाला ना हो।

(iv) प्रशासन में जातिवाद/गुटबाजी/वैमनस्यता बढाने वाला ना हो।

(v) ईमानदार/कर्मठ एवं निष्ठावान अनारक्षित कार्मिकों की प्रगति में बाधक ना हो।

(vi) भ्रष्टाचार, नकारापन एवं मक्कारी बढाने वाला ना हो।

(vii) प्रशासनिक निष्क्रियता बढाने वाला ना हो।

इन सभी एवं ऐसे ही अन्य मानदण्डों का संख्यात्मक आंकड़ों के आधार पर नियमित सर्वेक्षण करके उन्हें सार्वजनिक रूप से प्रकाशित किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

आप यह भली भांति जानते है कि भारतीय संविधान प्रत्येक भारतीय नागरिक को समानता का मूल अधिकार देता है एवं इस बात की गारंटी देता है कि किसी भी नागरिक को केवल जाति, धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश, लिंग आदि के आधार पर उसकी मनोवांछित शिक्षा, नौकरी, जिविका या व्यवसायिक गतिविधी से वंचित नहीं किया जावेगा। इसीलिए कोई भी आरक्षण प्रावधान बनाने से पहले उपरोक्त तीनों शर्तों को कठोरता से संख्यात्मक आंकड़ों के आधार पर प्रमाणित किया जाना माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनिवार्य बताया गया है। लेकिन यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण एवं अन्यायपूर्ण है कि केन्द्र सरकार एवं किसी भी राज्य सरकार द्वारा अभी तक उपरोक्त तीनों शब्दों/वाक्यांशों **(Words/phrases)** की कोई परिभाषा ही तय नहीं की गई है। संविधानिक प्रावधानों एवं सर्वोच्च न्यायालय के अनिवार्य निर्देशों का खुला उल्लंघन करते हुये केवल राजनैतिक लाभ–हानि के आधार पर जातिगत आरक्षण दिया जा रहा है, जिससे देश तीव्र गति से गृह युद्ध/जातीय संघर्ष की ओर बढ रहा है।

अतः आपसे आग्रह है कि उपरोक्त तीनों शब्दों/वाक्यांशों **(Words/phrases)** के लिए वैज्ञानिक परिभाषा/मानदण्ड तत्काल निर्धारित किये जाकर तीनों अनिवार्य शर्तो की पूर्ति संख्यात्मक आंकड़ों के आधार पर किये जाने के पश्चात ही अनुच्छेद 16(4), (4)(ए) एवं (4)(बी) के अधीन आरक्षण प्रावधान बनाये जाने सुनिश्चित किये जावे अन्यथा हमें मजबूर होकर न्यायालय की शरण में जाना होगा।

सादर,

भवदीय

(पाराशर नारायण)
अध्यक्ष

प्रतिलिपिः– सभी राष्ट्रवादी सांसदों को इस निवेदन के साथ कि आवश्यक कार्यवाही करवा कर अपने राष्ट्रवादी नेतृत्व का परिचय देकर अनुगृहित करे।